



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112020-223149
CG-DL-E-18112020-223149

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3617]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 13, 2020/ कार्तिक 22, 1942

No. 3617]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 2020/KARTIKA 22, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2020

का.आ. 4118(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट जिला कलेक्ट्रेट, पश्चिम सिक्किम (NH 510) के कि.मी 58.840 से 75.000 सिक्किम राज्य के तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

सिक्किम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH 510 तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7

1	जिला कलेक्टर ()	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH 510 के कि.मी. 58.84 से 75 तक	सिक्किम	वेस्ट डिस्ट्रिक्ट	ग्याल्शिग	1	लेगशिप बाजार
					सोरेंग	2	लोवर लूंगजीक
					दंतम	3	सारडुंग
						1	चिंगथांग
						2	बरफोक
						3	रंगसांग
						2	लोवर बरमाइक
						3	लोवर मारतम
						4	लोवर पचरेक
						5	ही गाओं
						6	लोवर सपुंग

[फा. सं. NHIDCL/PMU/Gyalshing/NH-510/L-G/PKG-V/2020-21]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2020

S.O. 4118(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km 58.840 to Km 75.000 of District Collectorate, West Sikkim (NH 510) in the State of SIKKIM for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of SIKKIM

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH 510 in the State of SIKKIM.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Collector	58.84KM To 75KM	SIKKIM	WEST DISTRICT	Gyalshing	1 Legship Bazar
						2 Lower Lungzik
						3 Sardung
					Soreng	1 Chingthang

							2	Barphok
						Dentam	1	Rangsang
							2	Lower Barmoik
							3	Lower Martam
							4	Lower Pechrek
							5	Hee Gaon
							6	Lower Sapung

[F.No. NHIDCL/PMU/Gyalshing/NH-510/L-G/PKG-V/2020-21]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.